

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पैचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

पत्र क्रमांक 2696 /22/वि-12/प्रशासन/2018

भोपाल, दिनांक 8/02/2018

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई—
जिला— (म.प्र.)

विषय:- नवीन एवं पूर्व से क्रियाशील इकाईयों में अमले एवं सामग्री की व्यवस्था के संबंध में।

- संदर्भ:-**
1. प्राधिकरण मुख्यालय का पत्र क्रमांक 6057 दिनांक 04/04/2014
 2. प्राधिकरण मुख्यालय का पत्र क्रमांक 1848 दिनांक 25/01/2018

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण में समय—समय पर कार्यभार के मान से नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाईयां प्रारंभ की जाती हैं। उक्त नवीन इकाईयों में आवश्यक अमला एवं सामग्री इत्यादि की व्यवस्था के संबंध में संदर्भ क्र. 1 एवं 2 के माध्यम से लेख किया गया है। वर्तमान में कुल 80 क्रियाशील इकाईयों हैं। इन क्रियाशील इकाईयों में देखने पर यह पाया गया कि नीचे दिये गये पदों में क्र.-5 से 9 तक के पद रिक्त हैं जबकि इकाईयों में कार्य का भार ज्यादा है।

इसी प्रकार कई इकाईयों में कार्यालयीन व्यवस्था हेतु आवश्यक फर्नीचर आदि उपलब्ध नहीं है। अतः पुनः निम्नानुसार मार्गदर्शन दिये जा रहे हैं।

(अ) सामान्य सेटअप :-


स. क्र.	पदनाम	पद संख्या	रिमार्क
1.	महाप्रबंधक	1	
2.	सहायक प्रबंधक, सामान्य रूप से/ कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय	2-4	इन पदों की व्यवस्था मुख्यालय स्तर से की जाएगी।
3.	उपयंत्री (सामान्य रूप से/ कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय	3-6	
4.	लेखाधिकारी	1	
5.	सहायक ग्रेड 1 एवं 2	2	संबंधित मुख्य महाप्रबंधक के अनुमोदन उपरांत प्रतिनियुक्ति/ संविदा के माध्यम से नियमानुसार पूर्ति की जावें।
6.	मानचित्रकार	1	मानचित्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में नव-नियुक्त होने वाले संविदा उपयंत्रियों से की जायेगी। इस संबंध में प्राधिकरण का पत्र क्र. 14804 दिनांक 20/10/2011 का पालन करना सुनिश्चित करें।
7.	सहायक मानचित्रकार	1	
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3	
9.	भूत्य	3	

(ब) नवीन इकाईयों में कार्यालयीन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार स्वीकृति/निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. कार्यालय भवन हेतु लोक निर्माण विभाग से शासकीय भवन उपलब्ध न किए जाने की स्थिति में दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर जिलाध्यक्ष से संपर्क कर प्राधिकरण के पत्र क्र. 23921 दिनांक 06/12/2014 में प्रदाय निर्देशानुसार व्यवस्था करें।
2. सहायक मानचित्रकार, सहायक लिपिक (प्रतिनियुक्ति/संविदा पर), डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा पर) एवं भूत्य (प्रतिनियुक्ति/संविदा पर) के रिक्त पदों की पूर्ति महाप्रबंधक द्वारा नियमानुसार (एक से अधिक पदों की स्थिति में जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू कर) प्रक्रिया पूर्ण कर की जावेगी।
3. नवीन इकाई में उपयोग हेतु दो टेलीफोन एवं इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था स्वीकृति अनुसार की जावें।
4. इकाई में महाप्रबंधक के उपयोग हेतु एक वाहन किराये पर लिया जा सकेगा। सहायक प्रबंधक/उपयंत्री के लिए वाहन संबंधी व्यवस्था के संबंध में प्राधिकरण मुख्यालय के आदेश क्र. 21118/22/वि-12/प्रशा./2016 दिनांक 07/10/2016 के अनुसार रहेगी (प्रतिलिपि संलग्न)।
5. नवीन इकाई में उपयोग हेतु अधिकतम 1,00,000 (एक लाख रु. मात्र) का फर्नीचर क्रय करने हेतु प्राधिकरण मुख्यालय के आदेश क्रमांक 5242/22/वि-12/ग्रा.स.वि. /MA/RKM/ दिनांक 21/04/2008 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6. कैश चेस्ट (तिजोरी) हेतु आवश्यक होने पर रु. 20,000 (रु. बीस हजार) की सीमा तक क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
7. कार्यालयीन उपयोग हेतु आवश्यकता होने पर तीन कम्प्यूटर एवं एक लेजर प्रिंटर क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8. डिजिटल कैमरा रु. 15,000/- की राशि सीमा तक क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
9. नवीन इकाईयों के कार्यक्षेत्र में आने/वाले कार्यों एवं कार्यों से संबंधित अभिलेखों का विभाजन हेतु प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 15006 दिनांक 08/10/2008 में प्रदाय निर्देशों का पालन किया जावे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन कर इकाईयों में आवश्यक सामग्री एवं अमले की पूर्ति की जाना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (आदेश प्रति)


(उमाकांत पाठ्डेय)


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

पत्र क्रमांक 2692/22/वि-12/प्रशासन/2018

भोपाल, दिनांक 05/02/2018

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक, (समस्त) तकनीकी म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन होते हुए नवीन इकाईयों को व्यवस्थित कराये।


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल